

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
पत्रांक- 602 /मी0क्षे0/33, मीरजापुर, दिनांक अगस्त, 08, 2025

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लो0नि0वि0 सोनभद्र भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल0डब्लू0ई0) के अंतर्गत भदई अरार से मकरीवारी मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में सोनभद्र वन प्रभाग में किमी0 0.000 से 40.150 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में प्रभावित 18.09हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 98 वृक्षों के पातन तथा कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर में किमी0 40.150 से 46.050 तक मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में प्रभावित 0.4293हे0 आरक्षित वन भूमि एवं शून्य वृक्षों का पातन अर्थात् कुल 18.5193हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 98 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत कार्यालय लखनऊ का पत्रांक-8बी/यू0पी0/06/292/2022/एफ.सी./106, दिनांक 04.05.2023 एवं आपका कार्यालय पत्रांक-3516/11-सी-FP/UP/Road/121267/2021, दिनांक 08.05.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। जिसके माध्यम से भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 04.05.2023 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई थी।

उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग ने अपने कार्यालय पत्रांक-279/सोनभद्र/33, दिनांक 06.08.2025 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा वांछित बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र द्वारा प्रेषित बिन्दुवार अनुपालन आख्या एतदसह संलग्नकर सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रकरण में विधिवत स्वीकृती (स्टेज-2) जारी कराने हेतु अपने स्तर से आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(मनीष मिस्तल)

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

संख्या- 602 /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग को उनके पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मनीष मिस्तल)

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग, ^{संशोधित} सोनभद्र।

पत्रांक— 249 / सोनभद्र / 33 दिनांक अगस्त, 06 2025

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय :-

जनपद सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लो0नि0वि0 सोनभद्र भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल0डब्लू0ई0) के अन्तर्गत भदई अरार से मकरीवारी मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में सोनभद्र वन प्रभाग में किमी0 0.000 से 40.150 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में प्रभावित 18.09 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 98 वृक्षों के पातन तथा कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर में किमी0 40.150 से 46.050 तक मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में प्रभावित 0.4293 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं शून्य वृक्षों का पातन अर्थात् कुल 18.5193 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 98 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

- (1) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र संख्या - 8बी/यू0पी0/06/292/2022/एफ0सी0/106 दिनांक 04.05.2023
- (2) कार्यालय अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लो0नि0वि0 सोनभद्र का पत्रांक-1093/यू0पी067148 दिनांक-08.11.2023।
- (3) इस कार्यालय का पत्रांक-1106/33/सोनभद्र दिनांक-04.01.2024।
- (4) कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग का पत्रांक-317/कैमूर/33-1, मीरजापुर दिनांक-31.07.2025।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में प्रभावित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्गत सैद्धान्तिक अनुमति में वर्णित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग द्वारा अपने संदर्भित पत्र के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी अनुपालन संलग्नकर आपकी सेवा में निम्नानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

S.NO.	CONDITIONS	REPLY/ENCLOSERS
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-1)
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the forest department over 18.1593 ha. non forest land Khasara no. 722, 719ka, 702ch, 768ga, 541ka, 718g in Village Baijnath District Sonbhadra at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभावित वन भूमि 18.5193 हे0 के सापेक्ष इस वन प्रभाग अन्तर्गत प्राप्त समतुल्य गैर वनभूमि 18.5193हे0 पर क्षतिपूरक वर्नीकरण हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वांछित धनराशि उपलब्ध करा दिया गया है, जिसका उपयोग कर मुख्यतः स्थानीय प्रजातियों का वृक्षारोपण कराया जायेगा।
3	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project in handed over to the user agency.	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है, तथा उक्त भूमि के विभाग के कब्जे में होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-2)

4	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and muted in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non forest land under section 4 or section 29 of the indian forest Act, 1927 or under the relevant section of the state forest act as the case may be will be submitted by the State Government at the time of submission of compliance AIP	सुअरसोत से सिरसिया सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 11.79 हे० वन भूमि एवं भदई अरार से मकरीवारी मार्ग में प्रभावित 18.5193 हे० वनभूमि के सापेक्ष पटना रेंज के ग्राम-वैजनाथ अन्तर्गत प्राप्त कुल-30.3093हे० गैर वनभूमि का असाधारण गजट संख्या-12/81-2-2025-29(12)-2025 दिनांक-21.07.2025 में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-29 के गजट की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-3)
5	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rate as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, Demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for work scheduled for subsequent years.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभावित वन भूमि 18.5193 हे० गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण एवं बाउण्ड्री पिलर स्थापना हेतु सर्वे एवं इण्डिकेटर की अंकित निर्धारित धनराशि रु० 4312450.00 (सोनभद्र वन प्रभाग) एवं रु० 18217.00 (कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर) परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई चालान के माध्यम से दिनांक 09.08.2023 को उत्तर प्रदेश कैम्पा फण्ड में ई पोर्टल से ई-चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC - UBIN0996335, A/C No. 1509061121267390 में जमा करा दिया गया है, जिसकी छाया प्रति संलग्न है। (संलग्नक-4)
6	The State Government shall charge the net present Value (NPV) for the 18.5193 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30-10-2022, 01-08-2003, 28-03-2008, 24-04-2008 and 09-05-2008 in I.A. No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-Fc(pt. II) dated 18-09-2002, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 05-02-2009 Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by user Agency in this regard.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभावित वन भूमि 18.5193 हे० वन भूमि का एन०पी०वी० की धनराशि रु० 17326241.00.00/- (सोनभद्र वन प्रभाग) एवं रु० 6730512.00 (कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर) दिनांक 09.08.2023 को कैम्पा फण्ड में ई पोर्टल से ई-चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC - UBIN0996335, A/C No. 1509061121267390 में जमा कर दिया गया है, जिसकी सत्यापित छाया प्रति संलग्न है। (संलग्नक-5)
7	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the expert Committee, shall be charged by the State Government from the user Agency. The User Agency Shall furnish an undertaking the effect.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-6)
8	The non forest land provided for CA shall be demarcated with boundary pillars.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बाउण्ड्री पिलर स्थापना हेतु धनराशि जमा कर दी गयी है। (संलग्नक-7)
9	User agency shall restrict the felling of trees to 98 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and by the Cost of felling of tress shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभावित 98 पौधों/वृक्षों गणना, छपान/पातन हेतु धनराशि रु० 50274.00 का बैंक ड्राफ्ट प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र को उपलब्ध करा दिया गया है (डी०डी० की छाया प्रति संलग्न है) एवं वृक्षों की संख्या न्यूनतम है जिनका पातन वन विभाग के निरीक्षण में किया जायेगा। (डी०डी० की छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक-8)

	The Complete Compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	इस बिन्दु के अनुपालन में जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा जारी वांछित प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-9)
11	No violation of FCA Certificate from Concerned DFO Shall be Provided.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-10)
12	Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) by the State Forest Department at the cost of User Agency as per submitted scheme according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju V/s State of Rajasthan and others dated 16-11-2015	इस बिन्दु के अनुपालन में रोड साइड पट्टी पर वृक्षारोपण हेतु धनराशि ₹0 28052800.00/- (सोनभद्र वन प्रभाग) एवं ₹0 4935031.00 (कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर) दिनांक 09.08.2023 को कैम्पा फण्ड में ई पोर्टल से ई-चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC UBIN0996335, A/C No. 1509061121267390 में जमा कर दिया गया है, जिसकी सत्यापित छाया प्रति संलग्न है। (संलग्नक-11)
13	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-12)
14	The user agency shall provided suitable under/over pass in Protected Area/Forest area as per recommendations of CWLW/NBWL/FAC/REC.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-13)
15	User agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-14)
16	The layout plan of the proposal shall not be change without prior approval of Central Government.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-15)
17	No labour camp shall be established on the forest land.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-16)
18	Sufficient firewood preferably the alternate fuel shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the state forest department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग या वन विकास निगम या वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से खरीदने के बाद श्रमिक को पर्याप्त जलाउ लकड़ी उपलब्ध करायी जायेगी।
19	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost as per the directions of the concerned Divisional Forest officer.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-17)
20	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-18)
21	The period of diversion this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life whichever is less.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में दी जाने वाली पट्टे की अवधि या परियोजना जीवन जो भी कम हो, के साथ सहटर्निमस होगी।
22	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-19)
23	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies. Department or person without prior approval of Govt. of India	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-20)

24	The KML file of the area to be diverted, the CA areas the proposed SMC work, the proposed catchment area treatment area and the WLMP area shall be Uploaded on e-green watch portal with all requisite details before commencement of works.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावित वन भूमि से सम्बन्धित क्षेत्र को कार्य प्रारम्भ होने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वाच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
25	Any order of Temporary work permission in linear project for tree cutting and commencement of work as per clause 11.2 of FCA Guidelines shall be passed under intimation to Nodal Office and this Office order to temporary work permission have to be uploaded on PARIVESH portal as well Nodal Officer will Strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा-निर्देशों के अनुसार पेड़ काटने व कार्य शुरू करने के लिये अस्थायी कार्य अनुमति दिये जाने की सूचना प्रभाग द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ० प्र० लखनऊ तथा भारत सरकार को देते हुये उसे परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
26	Violation any of these condition will amount to violation of Forest (conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF & CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC Dt. 29.01.2018	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-21)
27	Any other condition that ministry of Environment forest & Climate change may stipulated from time to time in the interest of conservation. Protection and development of forest & wildlife.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-22)
28	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through (https://parivesh.nic.in)	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव से सम्बन्धित जमा होने योग्य समस्त धनराशि परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से उ० प्र० कैम्पा से जमा कराने की सत्यापित प्रति उपलब्ध करा दिया गयी है।
29	The compliance report on e-portal (https://parivesh.nic.in)	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपलोड कर दिया गया है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

 (आशुतोष जायसवाल)
 प्रभागीय वनाधिकारी
 सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र।

संख्या- 279 अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि—अधिशाली अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र को इस आशय के साथ प्रेषित कि अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराने का कष्ट करें।


 (आशुतोष जायसवाल)
 प्रभागीय वनाधिकारी
 सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र।

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सोनभद्र द्वारा भदई अरार से मकरीवारी मार्ग के चैनेज 0.000 से 46.050 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "वन भूमि का वैधानिक रूप किसी भी परिस्थिति में बदले नहीं जाने" हेतु पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

Abhu
क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेंज चार्ज
सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र

Anshu
प्रन्नाय वन अधिकारी
पटना रेंज
सोनभद्र वन प्रभाग

dl
Executive Engineer
P.M.G.S.Y Division P.W.D.
Sonebhadra

Durg
उप प्रभागीय वन अधिकारी
चार्ज
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र

G.
प्रभागीय वन अधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

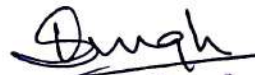
प्रमाण पत्र

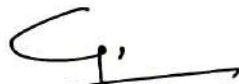
जनपद सोनभद्र में पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सोनभद्र भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल०डब्लू०ई०) के अन्तर्गत भदई अरार से मकरीवारी मार्ग किमी० ०.००० से ४६.०५० तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु प्रभावित १८.५१९३ हे० आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष पटना रेंज अन्तर्गत ग्राम बैजनाथ में गाटा संख्या ७०२च, क्षेत्र-२.४०६ हे०, गाटा संख्या ७२२, क्षेत्र-१.०३० हे०, गाटा संख्या ७१९क क्षेत्र-१.३७५ हे०, गाटा संख्या ७६८ग, क्षेत्र-५.८३३ हे०, गाटा संख्या ५४१क, क्षेत्र-२.०९८ हे० एवं गाटा संख्या ७१८ग, क्षेत्र-५.७७७३ हे० कुल १८.५१९३ हे० गैर वन भूमि को आज दिनांक ०४.११.२०२३ को श्री अजय कुमार चौधरी, क्षेत्रीय लेखपाल, श्री नन्दन कुमार, सहायक अभियन्ता एवं श्री मुन्ना लाल सिंह, क्षेत्रीय वन अधिकारी की उपस्थिति में वन विभाग को कब्जा/हस्तगत करा दिया गया है। वन भूमि निर्विवाद एवं अधिभार मुक्त है एवं किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। उक्त गैर वन भूमि वन विभाग के कब्जे है।


(अजय कुमार चौधरी)
क्षेत्रीय लेखपाल
बैजनाथ, सोनभद्र।


(नन्दन कुमार)
सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,
लो०नि०वि०, सोनभद्र।


(मुन्ना लाल सिंह)
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
पटना रेंज, सोनभद्र।


उप प्रभागीय वन अधिकारी
चुफे
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र


प्रभागीय वन अधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

संख्या-13/81-2-2025

प्रेषक,

विनय कुमार पाठक,

उप सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

✓ प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,

उ०प्र० लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 24 जुलाई, 2025

विषय:- जनपद-सोनभद्र के पटना रेंज के ग्राम बैजनाथ के अन्तर्गत प्राप्त 30.3093 हे० भूमि भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-08/11-बी-6 (धारा-29), दिनांक 03.07.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद-सोनभद्र के पटना रेंज के ग्राम बैजनाथ के अन्तर्गत प्राप्त 30.3093 हे० भूमि भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में प्रकरण में निर्गत अधिसूचना दिनांक 21.07.2025 की उक्त तिथि को असाधारण गजट में प्रकाशित प्रति संलग्न कर प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है की कृपया अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक प्रकाशित अधिसूचना की प्रति

Digitally signed by
VINAI KUMAR PATHAK

Date: 24-07-2025
12:39:17

भवदीय,

(विनय कुमार पाठक)

उप सचिव।



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-
डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 21 जुलाई, 2025

आषाढ़ 30, 1947 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

संख्या 12/81-2-2025-29(12)-2025

लखनऊ, 21 जुलाई, 2025

अधिसूचना

प0आ0-116

चूँकि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1927) के अधीन 'संरक्षित वन' के रूप में घोषित किये जाने के लिये प्रस्तावित की गयी है;

और, चूँकि, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यह परीक्षण कर लिया गया है कि पूर्वोक्त भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित कर किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को वंचित नहीं किया जा रहा है;

अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 'संरक्षित वन' घोषित करती हैं और यह भी अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित किन्हीं नियमों के अधीन समस्त ऋतुओं में उक्त भूमि पर प्रदत्त समस्त अधिकार और विशेषाधिकार अबाध रूप से जारी रहेंगे।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	वन खण्ड	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमा विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
सोनमद्र	राबर्टसगंज	विजयगढ़	बैजनाथ	1	8क	1.125	उत्तर-गाटा संख्या-2 (रोड) दक्षिण-गाटा संख्या-9 पूरब-गाटा संख्या-7 पश्चिम-गाटा संख्या-8 का शेष भाग।
				2	10ख	0.91	उत्तर-गाटा संख्या-9 दक्षिण-गाटा संख्या-11 पूरब-गाटा संख्या-11 पश्चिम-गाटा संख्या-11 और गाटा संख्या-10 का शेष भाग।

1	2	3	4	5	6	7	8
				3	45घ	1.979	उत्तर-गाटा संख्या-35, 41, 42 और 44 दक्षिण-गाटा संख्या-45 का शेष भाग और गाटा संख्या-48 पूरब-गाटा संख्या-40, 41 और गाटा संख्या-45 का शेष भाग। पश्चिम-गाटा संख्या-45 का शेष भाग।
				4	702ग	2.406	उत्तर-गाटा संख्या-702 का शेष भाग। दक्षिण-गाटा संख्या-105 (रोड)। पूरब-गाटा संख्या-702 का शेष भाग और गाटा संख्या-701 पश्चिम-गाटा संख्या-703
				5	718ग	5.7773	उत्तर-गाटा संख्या-718 का शेष भाग 632, 607 और गाटा संख्या -606 का शेष भाग। दक्षिण-गाटा संख्या-718 का शेष भाग। पूरब-गाटा संख्या-719 पश्चिम-गाटा संख्या-606, 607, 632 और गाटा संख्या-718 का शेष का भाग।
				6	722 719क	1.030 1.375	उत्तर-गाटा संख्या-105 (रोड)। दक्षिण-गाटा संख्या-719 का शेष भाग, 726 से सटा हुआ। पूरब-गाटा संख्या-723, 725, 726 से सटा हुआ। पश्चिम-गाटा संख्या-719 का शेष भाग और गाटा संख्या-721
				7	541क	2.098	उत्तर-गाटा संख्या-541 का शेष भाग। दक्षिण-गाटा संख्या- 687, 688 और 689 पूरब-गाटा संख्या-540 और 539 पश्चिम-गाटा संख्या- 541 का शेष भाग।

1	2	3	4	5	6	7	8
				8	768ग	5.833	उत्तर-गाटा संख्या-728, 729, 766, 767, गाटा संख्या -768 का शेष भाग और 727 से सटा हुआ। दक्षिण-गाटा संख्या-768 का शेष भाग। पूरब-गाटा संख्या-777 और 766 पश्चिम-गाटा संख्या-719, 728 और 729
				9	1305	0.530	उत्तर-गाटा संख्या-1329
					1306	0.510	दक्षिण-गाटा संख्या-1310 का शेष भाग, गाटा संख्या -1309 का शेष भाग, गाटा संख्या -1308 का शेष भाग और गाटा संख्या -1304
					1307	0.140	
					1308ग	0.185	
					1309क	0.491	
					1303ख	3.800	पूरब-गाटा संख्या-1329, 1304, 1308 और 1309 पश्चिम-गाटा संख्या-1312, 1311 और 1308
				10	1313	0.810	उत्तर-गाटा संख्या-1329, 1318
					1314ख	1.310	दक्षिण-गाटा संख्या-1314 का शेष भाग। पूरब-गाटा संख्या-1312 और 1311 पश्चिम-गाटा संख्या-1318
योग					17 गाटा	30.3093	

आज्ञा से,
अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 12/LXXXI-2-2025-29(12)-2025, dated July 21, 2025 :

No. 12/LXXXI-2-2025-29(12)-2025

Dated Lucknow, July 21, 2025

WHEREAS the land mentioned in the Schedule below has been proposed to be declared as 'protected forest' under the Indian Forest Act, 1927 (Act no. 16 of 1927);

AND, WHEREAS, it has been examined under sub-section (3) of Section 29 of the aforesaid Act that no rights of any person are being deprived by declaring the aforesaid land as protected forest;

उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 जुलाई, 2025

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under Section 29 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to declare the land mentioned in the Schedule below to be "protected forest" from the date of publication of this notification in the official *Gazette* and it is also notified that all rights and privileges conferred on the said land across all seasons under any rules published by the State Government shall continue unabated.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Name of Village	Forest Block	Gata No.	Area (in Hectares)	Boundary Description
1	2	3	4	5	6	7	8
Sonbhadra	Robertsganj	Vijaygarh	Baijnath	1	8 K	1.125	North-Gata No. 2 (Road) South-Gata No. 9 East-Gata No.7 West-Remaining part of Gata No.8
				2	10KH	0.91	North-Gata No. 9 South-Gata No. 11 East-Gata No.11 West-Gata No.11 and Remaining part of Gata No.10
				3	45GH	1.979	North- Gata No.- 35, 41,42 and 44 South- Gata No.- Remaining part of Gata No. 45 and Gata No. 48 East-Gata No. 40, 41 Remaining part of Gata No. 45 West- Remaining part of Gata No. 45
				4	702CH	2.406	North-Remaining part of Gata No.- 702 South-Gata No.- 105(Road) East-Remaining part of Gata No.- 702 and Gata No.- 701 West- Gata No. 703

				5	718G	5.7773	North-Remaining part of Gata No.- 718, 632, 607 and 606 South- Remaining part of Gata No.- 718. East- Gata No.-719. West- Gata No.- 606, 607, 632 and Remaining part of Gata No.- 718
				6	722	1.030	North-Gata No.- 105 (Road) South-Remaining part of Gata No.- 719 on touch Gata No.726. East- Gata No. 723, 725 on touch Gata No.726. West-Remaining part of Gata No.719 and Gata No.721.
					719K	1.375	
				7	541K	2.098	North-Remaining part of Gata No.541 South-Gata No.687, 688 and 689. East-Gata No.540 and 539. West- Remaining part of Gata No.541.
				8	768G	5.833	North-Gata No.728, 729, 766, 767 Remaing part of Gata No.768 and on touch Gata No.727 South-Remaining part of Gata No.768. East-Gata No.777 and 766. West- Gata No.719, 728 and 729.
				9	1305	0.530	North-Gata No.1329 South-Remaining part of Gata No.1310,
					1306	0.510	
					1307	0.140	
					1308G	0.185	
					1309K	0.491	

उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 जुलाई, 2025

					1310KH	3.800	Remaining part of Gata No.1309, Remaining part of Gata No.1308 and Gata No.1304. East-Gata No.1329, 1304, 1308 and 1309. West- Gata No.1312, 1311 and 1308.
				10	1313	0.810	North-Gata No.1329, 1318. South-Remaining part of Gata No.1314. East-Gata No.1312 and 1311. West- Gata No.1318.
					1314KH	1.310	
				Total	17 Gata	30.3093	

By order,
ANIL KUMAR,
Pramukh Sachiv.

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 07-08-2023

Agency Name.	PMGSY DIVISION PUBLIC WORKS DEPARTMENT SONEBHADRA
Application No.	61121267390
MoEF/SG File No.	8B/UP/06/292/2022/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	Office of The Executive Engineer, PMGSY Div., P.W.D. Sonebhadra. (First Floor of Executive Engineer, Nirman Khand, P.W.D. Sonebhadra.) Sonebhadra
Amount(In Rs)	61375251/-

Amount in Words : Six Crore Thirteen Lakh Seventy-Five Thousand Two Hundred and Fifty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1509061121267390 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 07-08-2023

Agency Name.	PMGSY DIVISION PUBLIC WORKS DEPARTMENT SONEBHADRA
Application No.	61121267390
MoEF/SG File No.	8B/UP/06/292/2022/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	Office of The Executive Engineer, PMGSY Div., P.W.D. Sonebhadra. (First Floor of Executive Engineer, Nirman Khand, P.W.D. Sonebhadra.) Sonebhadra
Amount(In Rs)	61375251/-

Amount in Words : Six Crore Thirteen Lakh Seventy-Five Thousand Two Hundred and Fifty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1509061121267390 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Prashant Yadav
Executive Engineer
PMGSY Division
P.W.D.-Sonebhadra



09 AUG 2023

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

Prashant Yadav
Executive Engineer
PMGSY Division
P.W.D.-Sonebhadra

Executive Engineer
PMGSY Division
Sonebhadra

Counter foil



भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA

Branch Robertsganj
Date 09 AUG 2022
Received ₹ 61375251.00
From EE PMGSY PWD Sonbhadra
For remittance of NEFT/RTGS by way of
(i) Transfer (only NEFT), (ii) Cash (only
NEFT), (iii) Cheque (NEFT/RTGS) using
cheque No.
favouring Uttar Pradesh
CAMPA
A/c No. 1509061121267390
IFSC Code UBIN0996335
Beneficiary Bank & Branch Union Bank
of India Bengaluru
Amount ₹ 61375251.00
Bank's Charges ₹ NIL
Total ₹ 61375251.00
(Rupees Six crore thirteen lakh seventy five
thousand two hundred fifty one
For office Use,
UTR No.



प्रतिहस्ताक्षरित

9
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

dh
Executive Engineer
P.M.G.S.Y Division (P.W.D.),
Sonbhadra

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सोनभद्र द्वारा भदई अरार से मकरीवारी मार्ग के चैनेज 0.000 से 46.050 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत "वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु मांग की गयी एन०पी०वी० की धनराशि की दर में भविष्य में भारत सरकार द्वारा/सक्षम स्तर से बढ़ौत्तरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

Abhi
क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेंज चार्ज
सोनभद्र वन प्रभाग सो.

Anshu
प्रभारी वनाधिकारी
पटना रेंज
सोनभद्र वन प्रभाग

del
Executive Engineer
P.M.G.S.Y Division P.W.D.
Sonebhadra

Dingh
उप प्रभागीय वनाधिकारी
चुर्क
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र

प्रतिहस्ताक्षरित
G.
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

जारी करी गो प्रभागीय स्टेट बैंक
Issuing Bank: State Bank of India
कोड नं./CODE No. 00170
Tel No. 7839883509

बैंकर्स चेक
BANKERS CHEQUE

Key: QOLGOY
Sr No: 608044

09082023
D D M M Y Y Y Y

PAY PRABHAGIYA VANADHIKARI SONBHADRA VAN PRABHAGIYA

को या उनके आदेश पर
OR ORDER

रुपये RUPEES

Fifty Thousand Two Hundred and Seventy Four Only

उभदा करें

₹

50274.00

IOI 000551269598

Key: QOLGOY Sr No: 608044

AMOUNT BELOW 50275 (0/5)

दुस्रो भारतीय स्टेट बैंक
For STATE BANK OF INDIA

Name of Applicant: SHRI GRAMINE SARAK VIKAS ABHIKAR

अंतरांतरणीय / NOT TRANSFERABLE

प्रतिष्ठित हस्ताक्षर
AUTHORISED SIGNATURE

शाखा प्रबंधक
BRANCH MANAGER

" 269598 " 000002000 : 000551 " 16

Executive Engineer
P.M.C.B.Y. Division
Sonbhadra

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय प्रशासक
सोनभद्र जन प्रभाग
सोनभद्र

Government of Uttar Pradesh
Office of the District Collector, Sonebhadra (U.P.)

No.: 1049 / 67148

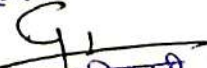
Dated: 28/10/2023

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF & CC), Government of India's Letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 03 August 2009, letter No. 11-9/1998-FC (pt) dated 28 October 2014 & State Government Order No. 2083/14-2-2016 Dated 14 September 2016. It is certified that an area of 18.5193 Hectare reserve forest land is proposed to be diverted in favour of P.M.G.S.Y. Division, P.W.D., Sonebhadra for diversion of Package No. UP67148 of Road "Bhadayee Arar to Makarivari" in Sonebhadra district falls within jurisdiction in Robertsganj Tehsil.

It is further certified that the proposal does not involve Recognized Right of Primitive Tribal Groups and Pre-Agriculture Communities and the "Forest Land" proposed to be diverted is a plantation which was notified as "Forest" less than 75 years prior to 13th December 2005 and is located in villages having no recorded population of Schedule Tribes and Others Traditional Forest Dwellers as per the census of 2001 and 2011.


DISTRICT COLLECTOR
SONEBHADRA

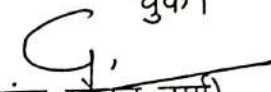
प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागोय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद सोनभद्र में सोनभद्र वन प्रभाग अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लो0नि0वि0 सोनभद्र भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल0डब्लू0ई0) के अन्तर्गत भदई अरार से मकरीवारी मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।


(अभिषेक यादव)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
चुर्क रेंज।


(अंशुल जैन)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
पटना रेंज।


(विनीत कुमार सिंह)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
चुर्क।

(कुंज मोहन वर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र।

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सोनभद्र द्वारा भदई अरार से मकरीवारी मार्ग के चैनेज ०.००० से ४६.०५० तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "प्रस्तावित वन क्षेत्रों में नियमित अन्तराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाये जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

Abh

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेज चुक
सोनभद्र वन प्रभाग

Anshu

प्रमुख वन अधिकारी
पटना रेज
सोनभद्र वन प्रभाग

dx
Executive Engineer
P.M.G.S.Y Division P.W.D.
Sonebhadra

प्रतिहस्ताक्षरित

G

प्रभागीय वन अधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

Dangh

उप प्रभागीय वन अधिकारी
चुक
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सोनभद्र द्वारा भदई अरार से मकरीवारी मार्ग के चैनेज 0.000 से 46.050 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "CW/LW/NBWL/FAC/REC की सिफारिसों के अनुसार आरक्षित वन क्षेत्रों में उपयुक्त अण्डर/ओवरपास उपलब्ध कराये जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

Abhi
क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेंज चार्ज
सोनभद्र वन प्रभाग से

Anshu
प्रजाय वनाधिकारी
पटना रेंज
सोनभद्र वन प्रभाग

Dugh
उप प्रभागीय वनाधिकारी
चार्ज
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र

dh
Executive Engineer
P.M.G.S.Y Division P.W.D.
Sonebhadra

प्रतिहस्ताक्षरित
[Signature]
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सोनभद्र द्वारा भदई अरार से मकरीवारी मार्ग के चैनेज 0.000 से 46.050 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "पर्यावरण संरक्षक अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार (यदि लागू हो तो) पर्यावरण मंजूरी प्राप्त कर उपलब्ध कराये जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

Abhi
क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेंज चार्ज
सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र

Anshu
क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेंज चार्ज
सोनभद्र वन प्रभाग

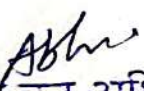
Dangh
उप प्रभागीय वन अधिकारी
चुर्क
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र

dl
Executive Engineer
P.M.G.S.Y Division P.W.D.
Sonebhadra

प्रतिहस्ताक्षरित
G
प्रभागीय वन अधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सोनभद्र द्वारा भदई अरार से मकरीवारी मार्ग के चैनेज 0.000 से 46.050 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत "केन्द्र सरकार की पूर्ण अनुमोदन के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदले जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

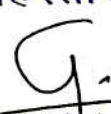

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेंज चार्ज
सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र


मंडलाय वनाधिकारी
पटना रेंज
सोनभद्र वन प्रभाग


Executive Engineer
P.M.G.S.Y Division P.W.D.
Sonebhadra

प्रतिहस्ताक्षरित


उप प्रभागीय वनाधिकारी
चुर्क
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र


प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सोनभद्र द्वारा भदई अरार से मकरीवारी मार्ग के चैनेज 0.000 से 46.050 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत "वन भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किये जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

ABhi
क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेंज चार्ज
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र

Anshu
प्रमुख वन अधिकारी
पटना रेंज
सोनभद्र वन प्रभाग

Executive Engineer
P.M.G.S.Y Division P.W.D.
Sonebhadra

Durgah
उप प्रभागीय वन अधिकारी
चुर्क
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र

प्रतिहस्ताक्षरित
G.
प्रभागीय वन अधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, सोनभद्र द्वारा भदई अरार से मकरीवारी मार्ग के चैनेज 0.000 से 46.050 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "प्रस्तावित वन भूमि की सीमा का उपयुक्त सीमांकन में होने वाले व्यय को किये जाने हेतु" पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

Abhi
क्षेत्रीय वन अधिकारी
रतना नक
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र

Anshu
प्रभार्य वनाधिकारी
रतना नक
सोनभद्र वन प्रभाग

Dangh
उप प्रभागीय वनाधिकारी
रतना नक
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र

Executive Engineer
P.M.G.S.Y Division P.W.D.
Sonebhadra

प्रतिहस्ताक्षर

प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सोनभद्र द्वारा भदई अरार से मकरीवारी मार्ग के चैनेज 0.000 से 46.050 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "परियोजना कार्य के सम्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु वन क्षेत्र के अन्दर कोई नवीन पथ का निर्माण नहीं किये जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

Abhis
क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेंज चार्ज
सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र

Anshu
प्रमुख वन अधिकारी
पटना रेंज
सोनभद्र वन प्रभाग

D Singh
उप प्रभागीय वन अधिकारी
चुर्क
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र

dl
Executive Engineer
P.M.G.S.Y Division P.W.D.
Sonebhadra

प्रतिहस्ताक्षरित
G.
प्रभागीय वन अधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

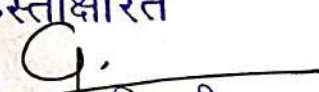
प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सोनभद्र द्वारा भदई अरार से मकरीवारी मार्ग के चैनेज 0.000 से 46.050 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत "प्रस्तावित वन भूमि का उपयोग परियोजना प्रस्ताव में निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किये जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।


क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेंज चार्ज
सोनभद्र वन प्रभाग


प्रमुख वन अधिकारी
वटना रेंज
सोनभद्र वन प्रभाग


Executive Engineer
P.M.G.S.Y Division P.W.D.
Sonebhadra


उप प्रभागीय वन अधिकारी
चार्ज
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वन अधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सोनभद्र द्वारा भदई अरार से मकरीवारी मार्ग के चैनेज 0.000 से 46.050 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य अभिकरण या व्यक्ति को बिना भारत सरकार की पूर्व अनुमति के हस्तान्तरण नहीं किये जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

Abhi
क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेंज चार्ज
सोनभद्र वन प्रभाग से

Anshu
प्रमुख वनाधिकारी
तटना रेंज
सोनभद्र वन प्रभाग

Dugb
उप प्रभागीय वनाधिकारी
चुर्क
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र

dt
Executive Engineer
P.M.G.S.Y Division P.W.D.
Sonebhadra

प्रतिहस्ताक्षर
G
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सोनभद्र द्वारा भदई अरार से मकरीवारी मार्ग के चैनेज 0.000 से 46.050 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत "समस्त शर्तों का उल्लंघन नहीं किये जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

Abhu
क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेंज चुर्क
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र

Anshu
प्रमुख वनाधिकारी
पटना रेंज
सोनभद्र वन प्रभाग

dl
Executive Engineer
P.M.G.S.Y Division P.W.D.
Sonebhadra

Dingh
उप प्रभागीय वनाधिकारी
चुर्क
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र

G
प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सोनभद्र द्वारा भदई अरार से मकरीवारी मार्ग के चैनेज ०.००० से ४६.०५० तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन और वन्य जीव संरक्षण और विकास के लिए समयानुसार जारी दिशा निर्देश का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

Abhi-

क्षेत्रीय वन अधिकारी

रेंज चार्ज

सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र

[Signature]

प्रदेशीय वनाधिकारी

पटना रेंज

सोनभद्र वन प्रभाग

[Signature]

उप प्रभागीय वनाधिकारी

चुर्क

सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र

[Signature]

Executive Engineer
P.M.G.S.Y Division P.W.D.
Sonebhadra

प्रतिहस्ताक्षरित

[Signature]

प्रभागीय वनाधिकारी

सोनभद्र वन प्रभाग

सोनभद्र

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर
पत्रांक- 317 /कैमूर/33-1,मीरजापुर दिनांक, जुलाई 31, 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग-सोनभद्र।

विषय :- जनपद सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लो0नि0वि0 सोनभद्र भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल0डब्लू0ई0) के अन्तर्गत भदई अरार से मकरीवारी मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में सोनभद्र वन प्रभाग में किमी0 0.000 से 40.150 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभावित 18.09 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 98 वृक्षों के पातन तथा कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर में किमी0 40.150 से 46.050 तक मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभावित 0.4293 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं शून्य वृक्षों का पातन अर्थात कुल 18.5193 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 98 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- (1)भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र संख्या-8बी/ यू0पी0/06/292/2022/एफ0सी0/106 दिनांक 04.05.2023
(2) इस कार्यालय का पत्रांक-232/33-1, दिनांक अगस्त 02, 2023
(3) अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0 सोनभद्र का पत्रांक-812/67148 दिनांक-28.07.2025

महोदय,

जनपद सोनभद्र में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल0डब्लू0ई0) के अन्तर्गत भदई अरार से मकरीवारी मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में सोनभद्र वन प्रभाग में किमी0 0.000 से 40.150 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभावित 18.09 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 98 वृक्षों के पातन तथा कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर में किमी0 40.150 से 46.050 तक मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभावित 0.4293 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं शून्य वृक्षों का पातन अर्थात कुल 18.5193 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 98 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र संख्या-8बी/यू0पी0/06/292/2022/एफ0सी0/106 दिनांक 04.05.2023 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन निर्गत की गयी है। भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या/वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-812/67148 दिनांक-28.07.2025 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है :-

S.NO.	CONDITIONS	REPLY/ENCLOSERS
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु के अनुपालन में वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the forest department over 18.1593 ha. non forest land Khasara no. 722, 719ka, 702ch, 768ga, 541ka, 718g in Village Baijnath District Sonbhadra at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु गैर वन भूमि कैमूर वन्य जीव प्रभाग के अन्तर्गत उपलब्ध नहीं करायी गयी है। उक्त गैर वन भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण हेतु धनराशि जमा किये जाने की पुष्टि सम्बन्धित वन प्रभाग द्वारा की जानी है।
3	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project in handed over to the user agency.	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु गैर वन भूमि कैमूर वन्य जीव प्रभाग के अन्तर्गत उपलब्ध नहीं करायी गयी है। अतः शर्त सं-3 की पुष्टि सम्बन्धित वन प्रभाग द्वारा की जानी है।

4	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and muted in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non forest land under section 4 or section 29 of the indian forest Act, 1927 or under the relevant section of the state forest act as the case may be will be submitted by the State Government at the time of submission of compliance AIP	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु गैर वन भूमि कैमूर वन्य जीव प्रभाग के अन्तर्गत उपलब्ध नहीं करायी गयी है। अतः शर्त सं-4 की पुष्टि सम्बन्धित वन प्रभाग द्वारा की जानी है।
5	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rate as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, Demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for work scheduled for subsequent years.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि प्रभावित वन भूमि 18.5193 हे० गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण एवं बाउण्ड्री पीलर स्थापना हेतु सर्वे एवं इण्टीकेटर की अंकित निर्धारित धनराशि रु० 18217.00 (कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर) परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई चालान के माध्यम से दिनांक 09.08.2023 को उत्तर प्रदेश कैम्पा फण्ड में ई पोर्टल से ई-चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC - UBIN0996335, A/C No. 1509061121267390 में जमा करा दिया गया है, जिसकी सत्यापित छाया प्रति संलग्न है।
6	The State Government shall charge the net present Value (NPV) for the 18.5193 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30-10-2022, 01-08-2003, 28-03-2008, 24-04-2008 and 09-05-2008 in I.A. No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-Fc(pt. II) dated 18-09-2002, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 05-02-2009 Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by user Agency in this regard.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि परियोजना में प्रभावित वन भूमि 18.5193 हे० के सापेक्ष कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर में प्रभावित 0.4293 हे० वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की धनराशि रु० 6730512.00 दिनांक 09.08.2023 को कैम्पा फण्ड में ई पोर्टल से ई-चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC- UBIN0996335, A/C No. 1509061121267390 में जमा कर दिया गया है, जिसकी सत्यापित छाया प्रति संलग्न है।
7	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the expert Committee, shall be charged by the State Government from the user Agency. The User Agency Shall furnish an undertaking the effect.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
8	The non forest land provided for CA shall be demarcated with boundary pillars.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि इस बिन्दु के अनुपालन में उनके द्वारा शत प्रतिशत अनुपालन किया जायेगा।
9	User agency shall restrict the felling of trees to 98 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and by the Cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि प्रभावित 98 पौधों/वृक्षों गणना, छपान/पातन हेतु धनराशि रु० 50274.00 का बैंक ड्राफ्ट प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र को उपलब्ध करा दिया गया है (डी०डी० की छाया प्रति संलग्न है) एवं वृक्षों की संख्या न्यूनतम है जिनका पातन वन विभाग के निरीक्षण में किया जायेगा।
10	The Complete Compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु के अनुपालन में जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा जारी वांछित प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
11	No violation of FCA Certificate from Concerned DFO Shall be Provided.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।

12	Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) by the State Forest Department at the cost of User Agency as per submitted scheme according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju V/s State of Rajasthan and others dated 16-11-2015	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि रोड साइड पटरी पर वृक्षारोपण हेतु धनराशि ₹0 28052800.00/- (सोनमद्र वन प्रभाग) एवं ₹0 4935031.00 (कैमूर वन्य जीव प्रभाग, गौरजापुर) दिनांक 09.08.2023 को कैम्पा फण्ड में ई पोर्टल से ई-चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC- UBIN0996335, A/C No. 1509061121267390 में जमा कर दिया गया है, जिसकी सत्यापित छाया प्रति संलग्न है।
13	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
14	The user agency shall provided suitable under/over pass in Protected Area/Forest area as per recommendations of CWLW/NBWL/FAC/REC.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
15	User agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
16	The layout plan of the proposal shall not be change without prior approval of Central Government.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
17	No labour camp shall be established on the forest land.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
18	Sufficient firewood preferably the alternate fuel shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the state forest department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग या वन विकास निगम या वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से खरीदने के बाद श्रमिक को पर्याप्त जलाऊ लकड़ी उपलब्ध करायी जायेगी।
19	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost as per the directions of the concerned Divisional Forest officer.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
20	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
21	The period of diversion this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life whichever is less.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में दी जाने वाली पट्टे की अवधि या परियोजना जीवन जो भी कम हो, के साथ सहटर्निमस होगी।
22	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
23	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies. Department or person without prior approval of Govt. of India.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
24	The KML file of the area to be diverted, the CA areas the proposed SMC work, the proposed catchment area treatment area and the WLMP area shall be uploaded on e-green watch portal with all requisite details before commencement	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि से सम्बन्धित क्षेत्र की कोऑर्डिनेट, सीओएओ हेतु प्रस्तावित क्षेत्र को कार्य प्रारम्भ होने से पहले प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभाग को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त सभी आवश्यक विवरणों के

	of works.	साथ ई-ग्रीन वाच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
25	Any order of Temporary work permission in linear projects for tree cutting and commencement of work as per clause 11.2 of FCA Guidelines shall be passed under intimation to Nodal Office and this office order of temporary work permission have to be uploaded on PARIVESH portal as well Nodal Officer will Strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा-निर्देशों के अनुसार पेड़ काटने व कार्य शुरू करने के लिए अस्थायी कार्य अनुमति दिये जाने की सूचना इस कार्यालय के पत्र सं०-3032/33-1 दिनांक-12.03.2024 द्वारा जारी की गयी है, जो मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को भी पृष्ठांकित है।
26	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (conservation) Act. 1980 and action would be taken as per the MoEF & CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC Dt. 29-01-2018.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
27	Any other condition that ministry of Environment forest & Climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation. Protection and development of forest & wildlife.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
28	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through (https://parivesh.nic.in)	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव से सम्बन्धित जमा होने योग्य समस्त धनराशि परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालन के माध्यम से उ०प्र० कैम्पा से जमा कराने की सत्यापित प्रति उपलब्ध करा दी गयी है (छाया प्रति संलग्न)।
29	The compliance report on e-portal (https://parivesh.nic.in)	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि परियोजना से सम्बन्धित समस्त बिन्दुओं की बिन्दुवार आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उपरोक्तानुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गयी वचनबद्धता प्रमाण-पत्र सहित सभी शर्तों की अनुपालन आख्या संलग्नकर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विषयक प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत कराने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

[Signature]
31/07/2024

(तापस मिहिर)

प्रभागीय वनाधिकारी

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, सीरजापुर।

संख्या 317 / 33-1 समदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लो०नि०वि०, सोनभद्र।

[Signature]
31/07/2024

(तापस मिहिर)

प्रभागीय वनाधिकारी

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, सीरजापुर।

[Signature]

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, सोनभद्र।

पत्रांक : 812/67148
सेवा में,

दिनांक : 28.07.2025

प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग,
मीरजापुर।

विषय :- जनपद सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लो0नि0वि0 सोनभद्र भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल0डब्ल्यू0ई0) के अन्तर्गत भदई अरार से मकरीवारी मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में सोनभद्र वन प्रभाग में किमी0 0.000 से 40.150 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभावित 18.09 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 98 वृक्षों के पातन तथा कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर में किमी0 40.150 से 46.050 तक मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभावित 0.4293 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं शून्य वृक्षों का पातन अर्थात् कुल 18.5193 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 98 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

- सन्दर्भ :- (1) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र संख्या - 8बी/यू0पी0/06/292/2022/एफ0सी0/106 दिनांक 04.05.2023
(2) आपका पत्रांक- 232/33-1, दिनांक - मीरजापुर अगस्त 02, 2023
(3) इस कार्यालय का पत्रांक- 305/67148 दिनांक 08.04.2024

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में प्रभावित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक अनुमति में वर्णित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन हेतु निम्नलिखित धनराशि (E-Payment Portal के माध्यम से जमा करें) रसीद (आन-लाइन प्रति) एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र की मूल हस्ताक्षरित सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय का पत्रांक- 305/67148 दिनांक 08.04.2024 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग, जनपद - सोनभद्र को प्रेषित की जा चुकी थी। पुनः सैद्धान्तिक अनुमति में वर्णित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित है-

S.NO.	CONDITIONS	REPLY/ENCLOSERS
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the forest department over 18.1593 ha. non forest land Khasara no. 722, 719ka, 702ch, 768ga, 541ka, 718g in Village Baijnath District Sonbhadra at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभावित वन भूमि 18.5193 हे0 वन भूमि का एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 17326241.00.00/- (सोनभद्र वन प्रभाग) एवं रू0 6730512.00 (कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर) दिनांक 09.08.2023 को कैम्पा फण्ड में ई पोर्टल से ई-चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC - UBIN0996335, A/C No. 1509061121267390 में जमा कर दिया गया है, जिसकी सत्यापित छाया प्रति संलग्न है।
3	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project in handed over to the user agency.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना में प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष गैर वन भूमि वन विभाग को नामान्तरित/हस्तान्तरित करा दिया गया है। अभिलेख संलग्न है।
4	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and muted in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non forest land under section 4 or section 29 of the Indian forest Act, 1927 or under the relevant section of the state forest act as the case may be will be submitted by the State Government at the time of submission of compliance AIP.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत करना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभावित वन भूमि 18.5193 हे0 के सापेक्ष ग्राम बैजनाथ में 18.5193 हे0 गैर वन भूमि को वन विभाग उ0प्र0 सरकार सोनभद्र वन प्रभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण करा दिया गया है। अभिलेख संलग्न है।
5	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rate as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, Demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for work scheduled for subsequent years.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभावित वन भूमि 18.5193 हे0 गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्क वनीकरण एवं बाउण्ड्री पिलर स्थापना हेतु सर्वे एवं इण्डीकेटर की अंकित निर्धारित धनराशि रू0 4312450.00 (सोनभद्र वन प्रभाग) एवं रू0 18217.00 (कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर) परियेश पोर्टल से उत्पन्न ई चालान के माध्यम से दिनांक 09.08.2023 को उत्तर प्रदेश कैम्पा फण्ड में ई पोर्टल से ई-चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC - UBIN0996335, A/C No. 1509061121267390 में जमा करा दिया गया है, जिसकी सत्यापित छाया प्रति संलग्न है।



6	The State Government shall charge the net present Value (NPV) for the 18.5193 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30-10-2022, 01-08-2003, 28-03-2008, 24-04-2008 and 09-05-2008 in I.A. No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-Fc(pl. II) dated 18-09-2002, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 05-02-2009 Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by user Agency in this regard.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभावित वन भूमि 18.5193 हे० वन भूमि का एनपीवी० की धनराशि ₹० 17326241.00.00/- (सोनमद्र वन प्रभाग) एवं ₹० 8730512.00 (कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर) दिनांक 09.08.2023 को कैम्पा फण्ड में ई पोर्टल से ई-चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC - UBIN0996335, A/C No. 1509061121267390 में जमा कर दिया गया है, जिसकी सत्यापित छाया प्रति संलग्न है।
7	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the expert Committee, shall be charged by the State Government from the user Agency. The User Agency Shall furnish an undertaking the effect.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
8	The non forest land provided for CA shall be demarcated with boundary pillars.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रात प्रतिरात अनुपालन किया जायेगा।
9	User agency shall restrict the felling of trees to 98 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and by the Cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभावित 98 पीछी/वृक्षों गणना, छपान/पातन हेतु धनराशि ₹० 50274.00 का बैंक ड्रफ्ट प्रभागीय यन्त्राधिकारी, सोनमद्र वन प्रभाग, सोनमद्र को उपलब्ध करा दिया गया है (डी०डी० की छाया प्रति संलग्न है) एवं वृक्षों की संख्या न्यूनतम है जिनका पातन वन विभाग के निरीक्षण में किया जायेगा।
10	The Complete Compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	इस बिन्दु के अनुपालन में जिलाधिकारी, सोनमद्र द्वारा जारी वांछित प्रमाण पत्र संलग्न है।
11	No violation of FCA Certificate from Concerned DFO Shall be Provided.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
12	Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) by the State Forest Department at the cost of User Agency as per submitted scheme according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju V/s State of Rajasthan and others dated 16-11-2015	इस बिन्दु के अनुपालन में रोड साइड पटरी पर वृक्षारोपण हेतु धनराशि ₹० 28052800.00/- (सोनमद्र वन प्रभाग) एवं ₹० 4935031.00 (कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर) दिनांक 09.08.2023 को कैम्पा फण्ड में ई पोर्टल से ई-चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC - UBIN0996335, A/C No. 1509061121267390 में जमा कर दिया गया है, जिसकी सत्यापित छाया प्रति संलग्न है।
13	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
14	The user agency shall provided suitable under/over pass in Protected Area/Forest area as per recommendations of C/LW/NBWL/FAC/REC.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
15	User agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
16	The layout plan of the proposal shall not be change without prior approval of Central Government.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
17	No labour camp shall be established on the forest land.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
18	Sufficient firewood preferably the alternate fuel shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the state forest department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग या वन विकास निगम या वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से खरीदने के बाद श्रमिक को पर्याप्त जलाऊ लकड़ी उपलब्ध करायी जायेगी।
19	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost as per the directions of the concerned Divisional Forest officer.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
20	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
21	The period of diversion this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life whichever is less.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में दी जाने वाली पट्टे की अवधि या परियोजना जीवन जो भी कम हो, के साथ सहटर्निमस होगी।
22	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।

Handwritten signature

23	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies. Department or person without prior approval of Govt. of India.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
24	The KML file of the area to be diverted, the CA areas the proposed SMC work, the proposed catchment area treatment area and the WLMP area shall be uploaded on e-green watch portal with all requisite details before commencement of works.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावित वन भूमि से सम्बन्धित क्षेत्र की कोऑर्डिनेट, सीओएच हेतु प्रस्तावित क्षेत्र को कार्य प्रारम्भ होने से पहले प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रमाण को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वाच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
25	any order of Temporary work permission in linear projects for tree cutting and commencement of work as per clause 11.2 of FCA Guidelines shall be passed under intimation to Nodal Office and this office order of temporary work permission have to be uploaded on PARIVESH portal as well Nodal Officer will Strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा-निर्देशों के अनुसार पेड़ काटने व कार्य शुरू करने के लिए अस्थायी कार्य अनुमति दिये जाने की सूचना प्रभाग द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ तथा भारत सरकार को देते हुए उसे परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
26	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (conservation) Act. 1980 and action would be taken as per the MoEF & CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC Dt. 29-01-2018.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
27	Any other condition that ministry of Environment forest & Climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation. Protection and development of forest & wildlife.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
28	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through (https://parivesh.nic.in)	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव से सम्बन्धित जमा होने योग्य समस्त धनराशि परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालन के माध्यम से उ०प्र० कैम्पा से जमा कराने की सत्यापित प्रति उपलब्ध करा दी गयी है (छाया प्रति संलग्न)।
29	The compliance report on e-portal (https://parivesh.nic.in)	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि परियोजना से सम्बन्धित समस्त बिन्दुओं की बिन्दुवार आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उपरोक्तानुसार उ०प्र० सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र सहित सभी शर्तों की अनुपालन आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इस प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत कराने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

(प्रशान्त यादव)

अधिशाली अभियन्ता,

पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,
लो०नि०वि०-सोनभद्र।

पत्रांक :

दिनांक :

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यू०पी०आर०आर०डी०ए०, उ०प्र० लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त, लो०नि०वि० वाराणसी।
5. जिलाधिकारी, जनपद सोनभद्र।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र।

अधिशाली अभियन्ता,

पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,
लो०नि०वि०-सोनभद्र।

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सोनभद्र द्वारा भदई असार से मकरीवारी भाग के चैनेज ०००० से ४६.०५० तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "वन भूमि का वैधानिक रूप किसी भी परिस्थिति में बदले नहीं जाने" हेतु पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।


क्षेत्रीय वनाधिकारी
गुर्मा रेंज
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर


वन्य जीव प्रतिपालक
कैमूर वन्य जीव विभाग
धर्क - सोनभद्र


प्रभारी बन्दोदस्त
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मीरजापुर।

प्राप्तिहस्ताक्षरित


प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

EX-10000-2-1-1-1-1
PMGSY P
S-10000-2-1-1-1-1

श्री १०४४
२०८११६ - (२१६, ६, १२) १

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 07-08-2023

Agency Name.	PMGSY DIVISION PUBLIC WORKS DEPARTMENT SONEBHADRA
Application No.	61121267390
MoEF/SG File No.	8B/UP/06/292/2022/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	Office of The Executive Engineer, PMGSY Div., P.W.D. Sonebhadra. (First Floor of Executive Engineer, Nirman Khand, P.W.D. Sonebhadra.) Sonebhadra
Amount(In Rs)	61375251/-

Amount in Words : Six Crore Thirteen Lakh Seventy-Five Thousand Two Hundred and Fifty-One Rupees Only

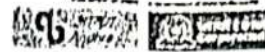
NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA ✓
IFSC Code:	UBIN0996335 ✓
Pay to Account No.	1509061121267390 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 07-08-2023

Agency Name.	PMGSY DIVISION PUBLIC WORKS DEPARTMENT SONEBHADRA
Application No.	61121267390
MoEF/SG File No.	8B/UP/06/292/2022/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	Office of The Executive Engineer, PMGSY Div., P.W.D. Sonebhadra. (First Floor of Executive Engineer, Nirman Khand, P.W.D. Sonebhadra.) Sonebhadra
Amount(In Rs)	61375251/-

Amount in Words : Six Crore Thirteen Lakh Seventy-Five Thousand Two Hundred and Fifty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1509061121267390 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

UTR No. - SBIN323221211646

Prashant Yadav
Executive Engineer
PMGSY Division
P.W.D.-Sonebhadra

प्रमारी कन्दोवर
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मीरजापुर

क्षेत्रीय वनाधिकारी
गुर्मा रेंज

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर



09 AUG 2023

प्रतिहस्ताभारित

Prashant Yadav
Executive Engineer
PMGSY Division
P.W.D.-Sonebhadra

वन्य जीव प्रभाग
कैमूर वन्य जीव विभाग
धर्म - सोनभद्र

प्रभाग वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

PMGSY Division P.W.D.
Sonebhadra

शत संख्या
संख्या - (2, 5, 6, 12)

Counter foil



भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA

Branch... Robertson
Date... 10/06/2016
Received ₹ 61375251.00
From EE, P.M.G.S.Y. P.W.D. Sonbhadra
For remittance of NEFT/RTGS by way of
(i) Transfer (only NEFT), (ii) Cash (only
NEFT), (iii) Cheque (NEFT/RTGS) using
cheque No.
favouring Uttar Pradesh
CAMPA
A/c No. 1509061121267390
IFSC Code UBIN0996335
Beneficiary Bank & Branch Union Bank
of India, Bengaluru
Amount ₹ 61375251.00
Bank's Charges ₹ Nil
Total ₹ 61375251.00
(Rupees Sixty thirteen lakh seventy five
thousand two hundred fifty one
For office Use,
UTR No.

SBIN 323221211646



क्षेत्रीय वनाधिकारी
गुर्मा रेंज
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

वन्य जीव प्रतिपालक
कैमूर वन्य जीव विहार
धर्क - सोनभद्र

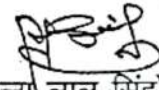
Executive Engineer
P.M.G.S.Y. Division P.W.D.
Sonbhadra

प्रमाण पत्र

जनपद सोनभद्र में पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सोनभद्र भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल०डब्लू०ई०) के अन्तर्गत भदई अरार से मकरीवारी मार्ग किमी० 0.000 से 46.050 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्रभावित 18.5193 हे० आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष पटना रेंज अन्तर्गत ग्राम बैजनाथ में गाटा संख्या 702च, क्षे०-2.406 हे०, गाटा संख्या 722, क्षे०-1.030 हे०, गाटा संख्या 719क क्षे०-1.375 हे०, गाटा संख्या 768ग, क्षे०-5.833 हे०, गाटा संख्या 541क, क्षे०-2.098 हे० एवं गाटा संख्या 718ग, क्षे०-5.7773 हे० कुल 18.5193 हे० गैर वन भूमि को आज दिनांक 04.11.2023 को श्री अजय कुमार चौधरी, क्षेत्रीय लेखपाल, श्री नन्दन कुमार, सहायक अभियन्ता एवं श्री मुन्ना लाल सिंह, क्षेत्रीय वन अधिकारी की उपस्थिति में वन विभाग को कब्जा/हस्तगत करा दिया गया है। वन भूमि निर्विवाद एवं अधिभार मुक्त है एवं किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। उक्त गैर वन भूमि वन विभाग के कब्जे है।


(अजय कुमार चौधरी)
क्षेत्रीय लेखपाल
बैजनाथ, सोनभद्र।


(नन्दन कुमार)
सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,
लो०नि०वि०, सोनभद्र।


(मुन्ना लाल सिंह)
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
पटना रेंज, सोनभद्र।


क्षेत्रीय वनाधिकारी
गुर्मा रेंज
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर



उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 2139722023121

ग्राम क्रमांक : 213972 ग्राम का नाम (परगना) : वैजनाथ(विजयगढ़) तहसील : रायबटसगंज जनपद : सोनभद्र फसली वर्ष : 1430-1435 (01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2028) भाग : 1 (1) छाता संख्या : 00170
श्रेणी : 5-3-इ / अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटीकृत याद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (प्लॉक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
718ग	बन्जर / / नि. ग्राम			718ग(2139720718200557)	6.0000			0.00
कुल गाटे- एक	कुल क्षेत्रफल- छ. दशमलव शुद्ध शुद्ध शुद्ध शुद्ध (हेक्टेयर)	कुल भू-राजस्व - शुद्ध दशमलव शुद्ध शुद्ध रुपये						
नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज किया गया		दर्ज किया गया				
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटीकृत याद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संबंधक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / प्लॉक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / प्लॉक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)		
1) अन्य /984 /22-09-2023 /पुनर्ग्रहण /ANIL KUMAR SRIVASTAV /03-11-2023								
1) आदेश का निरस्तीकरण : उपरोक्त आदेश शासनादेश सं०258(1) 16-73-आ-1 में अंकित गाटा सं० 719ग/5.7773हे० के स्थान पर गाटा सं०718ग/5.7773हे० च गाटा सं० 45ग/1.9790 के स्थान पर गाटा सं० 45ग/1.9790हे० अंकित होकर अधिलेख हुक्मस्त हो। द्वारा सं०30-09-2023/03-11-2023 (डिजिटल हस्ताक्षर : ANIL KUMAR SRIVASTAV/08-11-2023)								
(17) भूमि के सम्बन्ध में विचारार्थीन राजस्व बाद/बादों की कम्प्यूटीकृत संख्या :								

क्षेत्रीय वनाधिकारी

गुर्मा रेंज

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

12/11/2023 2:54 PM

21/12/23 - 21/12/23
(4)

- (18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति
(18.1) बंधक होने की स्थिति (संख्या अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/छातेदार(पति-संरक्षक)) :
(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संख्या अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/छातेदार(पति-संरक्षक)) :
(19) अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

1) शासनदेश सं० 258(1) 16-73-त-1 दिनांक 16-06-1981 का आंशिक परिष्कार करते हुए उ० प्र० सं० संविदा 2006 (उ० प्र० अधिनियम संख्या 8 सन 2012) की धारा -59 की उप धारा -4 के खण्ड-(ग) तथा उ० प्र० सं० संविदा नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके एवं शासकीय अधिसूचना संख्या -740/एक -1-2016-20(5)/2016 दिनांक 6 जुलाई 2016 में प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं चन्द्र बिजय सिंह जिलाधिकारी सोनभद्र अनुपखी के ग्राम बैजनाथ परगना विजयगढ़ तह० ए० गंज सोनभद्र के गाटा सं० 702ख/2.406, 722/1.030, 719ख/1.375, 768ख/5.833, 541ख/2.098, 719ख/5.7773, 1313/0.81, 1314ख/1.31, 1310ख/3.80, 1309ख/0.491, 1308ख/0.185, 1307/0.140, 1306/0.510, 1305/0.530, 8ख/1.125, 10ख/0.91, 45ख/1.9790 कुल 17 गाटा रकबा 30.3093 हे० क्षेत्री 5-3-ड०- कृषि बोम्ब बंजर भूमि जो अब ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। पुनर्निर्मित भूमि का उपयोग (पी० एम० जी० एस० वाई० खण्ड सो० नि० विभाग सोनभद्र के अन्तर्गत स्वीकृत पैकेज सं० ए० पी० 67148 के मार्ग -पट्टाई अंतर से मकरीबारी मार्ग एवं पैकेज सं० ए० पी० 67153 सुअस्सेत खुर्द से सिरसिया मार्ग हेतु हस्तान्तरित भूमि के समेख) वन विभाग सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र को क्षतिपूर्क बनीकरण हेतु किया जायेगा यदि किसी कारणवश पुनर्निर्मित भूमि का उपयोग इस निमित्त तीन वर्ष के भीतर नहीं किया जाता है तो यह भूमि पूर्ववत् गाँवसभा में सम्मिलित हो जायेगी। र० का० 30-09-2023

Data Digitally Signed by: ANIL KUMAR SRIVASTAV (REVENUE INSPECTOR)
दिनांक/समय/स्थान: 21-12-2023 02:54:31 काशील : राबर्टलगांव

① यह उत्तरण छातीनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर द्वारा किया गया है तथा काय डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित है।

द्विज कर्ता : MANOJ KUMAR SINGH काशील : राबर्टलगांव
सुचित दिनांक एवं समय: 21-12-2023 02:54:31
① Not Applicable For Online Prints ① उपरोक्त उत्तरण छातीनी व
वेबसाइट पर https://upbhulekh.gov.in Website पर कायर अथवा QR
Code Scan करके किया जा सकता है।



क्षेत्रीय वनाधिकारी
गुर्मा रेंज

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर



वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सोनभद्र द्वारा भदई अरार से मकरीवारी मार्ग के चैनेज 0.000 से 46.050 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु मांग की गयी एन०पी०वी० की धनराशि की दर में भविष्य में भारत सरकार द्वारा/सक्षम स्तर से बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
गुर्मा रेंज
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

वन्य जीव प्रतिपालक
कैमूर वन्य जीव विभाग
धर्क - सोनभद्र

प्रभारी बन्दोबरस्त
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मीरजापुर।

प्रातःहस्ताक्षरित
प्रभागाय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

Executive Engineer
P.M.G.S.Y Division P.W.D.
Sonebhadra

भारतीय स्टेट बैंक
Issuing State Bank of India
CODE No. 00170
No - 7839883509

बैंकर्स चेक
BANKERS CHEQUE

Key GOLGOY
Sr No 608044

0 9 0 8 2 0 2 3
D D M M Y Y Y Y

PAY PRABHAGIYA VANADHIKARI SONBHAD RA VAN PRABHAG

तो या उनके आदेश पर

रुपये RUPEES

Fifty Thousand Two Hundred and Seventy Four Only

OR ORDER

₹ 50274.00

IOI 000551268598

Name of Applicant

Key GOLGOY - Sr. No 608044

UP GRAMINE SARAK VIKAS ABHIKAR

AMOUNT BELOW 50275(0/5)

बुद्धो भारतीय स्टेट बैंक
FOR STATE BANK OF INDIA

अहस्तान्तरणीय

NOT TRANSFERABLE

अधिकृत हस्ताक्षर
AUTHORISED SIGNATORY

शाखा प्रबंधक
BRANCH MANAGER

"269598" 0000020001: 000551" 16

क्षेत्रीय वनाधिकारी

गुर्मा रेंज

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

Executive Engineer
P.M.G.O.Y Division F.
Sonbhadra

Government of Uttar Pradesh
Office of the District Collector, Sonebhadra (U.P.)

No.: 1049/67148

Dated: 28/10/2023

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF & CC), Government of India's Letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 03 August 2009, letter No. 11-9/1998-FC (pt) dated 28 October 2014 & State Government Order No. 2083/14-2-2016 Dated 14 September 2016. It is certified that an area of 18.5193 Hectare reserve forest land is proposed to be diverted in favour of P.M.G.S.Y. Division, P.W.D., Sonebhadra for diversion of Package No. UP67148 of Road "Bhadayee Arar to Makarivari" in Sonebhadra district falls within jurisdiction in Robertsganj Tehsil.

It is further certified that the proposal does not involve Recognized Right of Primitive Tribal Groups and Pre-Agriculture Communities and the "Forest Land" proposed to be diverted is a plantation which was notified as "Forest" less than 75 years prior to 13th December 2005 and is located in villages having no recorded population of Schedule Tribes and Others Traditional Forest Dwellers as per the census of 2001 and 2011.


DISTRICT COLLECTOR
SONEBHADRA

क्षेत्रीय वन अधिकारी
गुर्मा रेंज
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सोनभद्र द्वारा भदई अरार से मकरीवारी मार्ग के चैनेज ०.००० से ४६.०५० तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत "प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा जारी एफ०सी०ए० प्रमाण पत्र का उल्लंघन नहीं किये जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
गुर्मा रेंज

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

वन्य जीव प्रतिपालक
कैमूर वन्य जीव विहार
धर्क - सोनभद्र

Executive Engineer
P.M.G.S.Y. Division R.W.D.
Sonebhadra

प्रमाण पत्र

Condition no-11

No violation of FCA Certificate from Concerned DFO Shall be Provided.

प्रमाणित किया जाता है कि कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के अन्तर्गत भदई अरार से मकरीबारी मार्ग के किमी 0 40.150 से 46.050 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में प्रभावित 0.4293 हे० आरक्षित वन भूमि पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन का मामला संज्ञानित नहीं हुआ।

 क्षेत्रीय वन अधिकारी
प्रभारी वन्दोयस्त
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मीरजापुर।
गुर्मा रेंज।

 वन्य जीव प्रतिपालक,
कैमूर वन्य जीव विहार
चुर्क-सोनभद्र।

 प्रभागिय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मीरजापुर।

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सोनभद्र द्वारा भदई अरार से मकरीवारी मार्ग के चैनेज 0.000 से 46.050 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत "प्रस्तावित वन क्षेत्रों में नियमित अन्तराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाये जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।


क्षेत्रीय वनाधिकारी
गुर्मा रेंज

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर


वन्य जीव प्रतिपालक
कैमूर वन्य जीव विहार
धर्क - सोनभद्र


Executive Engineer
P.M.G.S.Y Division P.W.D.
Sonebhadra

प्रातहस्ताक्षरेत


प्रभारी बन्दोवस्त
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मीरजापुर।


प्रभुगाय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सोनभद्र द्वारा भदई अरार से मकरीवारी मार्ग के चैनेज 0.000 से 46.050 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "CW/LW/NBWL/FAC/REC की सिफारिसों के अनुसार आरक्षित वन क्षेत्रों में उपयुक्त अण्डर/ओवरपास उपलब्ध कराये जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
गुर्मा रेंज

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

वन्य जीव प्रतियोगिता
कैमूर वन्य जीव विभाग
चर्क - सोनभद्र

Executive Engineer
P.M.G.S.Y Division P.W.D.
Sonebhadra

प्रांतेहस्ताक्षरित

प्रभारी वन्दोवस्त
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मीरजापुर।

प्रभागिय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सोनभद्र द्वारा भदई अरार से मकरीवारी मार्ग के चैनैज 0.000 से 46.050 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "पर्यावरण संरक्षक अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार (यदि लागू हो तो) पर्यावरण मंजूरी प्राप्त कर उपलब्ध कराये जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।


क्षेत्रीय वनाधिकारी
गुर्मा रेंज
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर


वन्य जीव प्रतिपालक
कैमूर वन्य जीव विभाग
चर्क - सोनभद्र


Executive Engineer
P.M.G.S.Y Division P.W.D.
Sonebhadra


प्रमारी वन्दोयस्त
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मीरजापुर।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रमाणाय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सोनभद्र द्वारा भदई अरार से मकरीवारी मार्ग के चैनैज ०.००० से ४६.०५० तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत "केन्द्र सरकार की पूर्ण अनुमोदन के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदले जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।


क्षेत्रीय वनाधिकारी
गुर्मा रेंज
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर


वन्य जीव प्रतिपालक
कैमूर वन्य जीव विभाग
घरक - सोनभद्र


Executive Engineer
P.M.G.S.Y Division P.W.D.
Sonebhadra


प्रभारी वन्दोदरत
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मीरजापुर।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभाग वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सोनभद्र द्वारा भदई अशर से मकरीवारी मार्ग के चैनेज 0.000 से 46.050 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "वन भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किये जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।


क्षेत्रीय वनाधिकारी
गुर्मा रेंज

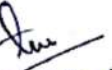
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर


वन्य जीव प्रतिपालक
कैमूर वन्य जीव विभाग
खर्क - सोनभद्र


Executive Engineer
P.M.G.S.Y Division P.W.D.
Sonebhadra

प्रातेहस्ताक्षरित


प्रभारी बन्दोखरत
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मीरजापुर।


प्रभागाय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

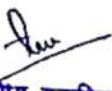
प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सोनभद्र द्वारा भदई अरार से मकरीवारी मार्ग के चैनेज़ 0.000 से 46.050 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत "प्रस्तावित वन भूमि की सीमा का उपयुक्त सीमांकन में होने वाले व्यय को किये जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।


क्षेत्रीय वनाधिकारी
गुर्मा रेंज
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर


वन्य जीव प्रभारिता
कैमूर वन्य जीव विभाग
सर्क - सोनभद्र


Executive Engineer
P.M.G.S.Y Division F.W.D.
Sonebhadra


प्रभारी वन्योवरत
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मीरजापुर।

प्रातिहस्ताक्षरित

प्रभारी वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सोनभद्र द्वारा भदई अरार से मकरीवारी मार्ग के चैनेज 0.000 से 46.050 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत "परियोजना कार्य के सम्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु वन क्षेत्र के अन्दर कोई नवीन पथ का निर्माण नहीं किये जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
गुर्मा रेंज

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

वन्य जीव प्रभारिता
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
क्षेत्र - सोनभद्र

Executive Engineer
P.M.G.S.Y Division F.W.D.
Sonebhadra

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभारी वन्दोवरता
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मीरजापुर

प्रभारी वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सोनभद्र द्वारा भदई अरार से मकरीवारी मार्ग के चैनेज ०.००० से ४६.०५० तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत "प्रस्तावित वन भूमि का उपयोग परियोजना प्रस्ताव में निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किये जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

क्षेत्रीय वनाधिकारी

गुर्मा रेंज

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

वन्य जीव प्रतिपालक
कैमूर वन्य जीव विभाग
बर्क - सोनभद्र

Executive Engineer
P.M.G.S.Y Division P.W.D.
Sonebhadra

प्राप्तेहस्ताक्षरित

प्रभारी व अधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मीरजापुर।

प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सोनभद्र द्वारा भदई अरार से मकरीवारी मार्ग के चैनेज ०.००० से ४६.०५० तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य अभिकरण या व्यक्ति को बिना भारत सरकार की पूर्व अनुमति के हस्तान्तरण नहीं किये जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
गुर्मा रेंज

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

वन्य जीव प्रभारिता
कैमूर वन्य जीव विभाग
कैमूर - सोनभद्र

Executive Engineer
P.M.G.S.Y Division F.W.D.
Sonebhadra

प्रभारी वन्दोवस्त
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मीरजापुर।

प्रातिहस्ताक्षरित
प्रभागिय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।

पत्र संख्या- 3032 / 33-1 दिनांक, मीरजापुर, मार्च 12, 2024।

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई, खण्ड
लोक निर्माण विभाग सोनभद्र।

विषय: जनपद सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लो0नि0वि0 सोनभद्र भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल0डब्लू0ई0) के अन्तर्गत भदई अरार से मकरीवारी मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में सोनभद्र वन प्रभाग में किमी0 0.000 से 40.15 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभावित 18.09हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 98 वृक्षों के पातन तथा कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर में किमी0 40.150 से 46.050 तक मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रस्तावित 0.4293हे0 आरक्षित वन भूमि एवं शून्य वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 18.5193हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 98 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (FP/UP/ROAD/121267/2021)

संदर्भ-1-भारत सरकार के पत्र सं0-8वी/यू0पी0/06/292/2022/एफ0सी0/106 दिनांक-04.05.2023.

2-भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन्य जीव डिवीजन) नई दिल्ली के पत्रांक-F.No. WL-6/81/2023 दिनांक-14.08.2023 तत्कम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 559/26-11 (Bhadai Arar to Makaribari Road FP/UP/ROAD/121267/2021) दिनांक 18.08.2023

3-इस कार्यालय का पत्रांक-232/33-1 दिनांक 2.08.2023 पत्रांक-361/33-1 दिनांक-19.08.2023,

4-आपका पत्रांक-824/67148 दिनांक-10.08.2023, पत्रांक-1087/67148 दिनांक-08.11.2023, पत्रांक-61/67148 दिनांक-29.01.2024, पत्रांक-124 दिनांक-14.02.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में भारत सरकार के पत्र सं0-8वी/यू0पी0/06/251/2021/एफ0सी0/715 दिनांक-04.02.2022 द्वारा 29 शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन्य जीव डिवीजन) नई दिल्ली के पत्रांक-F.No. WL-6/81/2023 दिनांक-14.08.2023 द्वारा 17 शर्तों के अधीन वन्य जीव Clearance/अनुमोदन/संस्तुति प्रदान की गयी है।

उपरोक्त पत्रों में वर्णित शर्तों की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु संदर्भगत क्रमांक-3 में उल्लिखित विभिन्न पत्रों के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनुरोध किया गया था। उक्त के क्रम में आपके कार्यालय के पत्रांक-824/67148 दिनांक-10.08.2023 द्वारा कैमूर वन्य जीव प्रभाग के अन्तर्गत, विभिन्न शर्तों में बाधित धनराशि कैम्पा फण्ड में ई-पोर्टल के माध्यम से जमा कराने की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। आपके कार्यालय के पत्रांक-1087/67148 दिनांक-08.11.2023 व पत्रांक-61/67148 दिनांक-29.01.2024 द्वारा वन्य जीव Clearance की शर्तों की अनुपालन आख्या व एनीमल पैसेज प्लान संलग्न कर प्रेषित किया गया है।

भदई अरार से मकरीवारी मार्ग के सम्बन्ध में निदेशक भारतीय वन्य जीव संस्थान (WII) 18 चन्द्रवली देहरादून उत्तराखण्ड द्वारा तैयार किये गये एनीमल पैसेज प्लान में यह उल्लिखित है कि "The 6 km stretch of the road falling within the boundary of the WLS and the eco-sensitive zone does not include areas that are potentially important from the point-of-view of animal presence and/or movement. Thus, no mitigation measures are recommended for this segment."

AS

General recommendations:

1. The height of all animal passages should not be less than 4 m. The minimum height should not be achieved by ground excavation, but by elevating the road.
2. Divisions between the crossing structures should be of pillar type, instead of wall-type.
3. Disturbance during construction in the forest area is to be kept minimum by the following mechanisms:
 - Use of pre-fabricated materials for construction,
 - Use of water from sources other than waterbodies such as the river, and water holes in the Sanctuary.
 - Disposal of construction-related debris away from the Sanctuary and forest areas,
 - Prohibition on camping of construction personnel within the Sanctuary and forested areas.
4. Post-construction rehabilitation of uprooted grassland vegetation is to be done using native flora in collaboration with forest department.
5. Speed breakers are to be placed in the identified locations with high probabilities of animal movement (Table 1).
6. Signages such as "Wild animal crossing zone, go slow" should be put up along the identified critical points (Table 1).
7. Site-specific measures to avoid water pollution and siltation during construction are to be employed including use of oil interceptors. Further regular monitoring and maintenance is required post-construction to ensure that siltation and consequent blockage of crossing structures does not occur.

सड़क निर्माण के दौरान उपरोक्त General Condition की सात बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में working permission स्वतः निरस्त मानी जायेगी और भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 एवं वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत आपके विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

आपके कार्यालय के पत्रांक-124 दिनांक-14.02.2024 द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि "वन मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के चैप्टर-11 के पैरा-11.1 के अनुपालन में सी0ए0 लैण्ड हेतु वांछित धनराशि, एन0पी0वी0, मिटीगेशन मेजर्स, वृक्षारोपण तथा उपलब्ध करायी गयी सी0ए0 लैण्ड के वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण सम्बन्धित समस्त कार्य पूर्व में इस खण्ड द्वारा पूर्ण किया जा चुका है। इस खण्ड के अन्तर्गत कैमूर वन्य जीव प्रभाग के आच्छादित कोई भी प्रस्ताव 02 वर्ष या उससे अधिक अवधि में स्टेज-2 की स्वीकृति हेतु लम्बित नहीं है, undertaking संलग्न है।"

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र दिनांक-29.12.2023 द्वारा जारी Consolidated Guidelines and Clarifications Issued Under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and Van (Sanrakshan Evam amvardhan) Rules, 2023 के चैप्टर 11 के पैरा 11.1 में निम्न प्रकार उल्लेख किया गया है :-

"11.1 Any proposal for linear projects such as roads, railway line, transmission lines, etc. need to be processed in their entirety for comprehensive assessment of requirement of forest land and consequences if approval for any forest land is not granted. Project proponents should not align such projects towards forest land for sake of logistic convenience. No work on forest land shall be taken up unless diversion of forest land is ordered by the concerned State /UT Government after obtaining approval of the Central Government under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980:

Provided that consequent to grant of Stage 1 approval in respect of linear projects such as laying of new roads, widening of existing highways, transmission lines, water supply lines, optic fiber cabling, railway lines etc. by the Central Government under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 the State

AS

Government or a Senior Officer not below the Rank of a Divisional Forest Officer, having jurisdiction over the forest land proposed to be diverted, duly authorized in this behalf by the State Government can pass an order for tree cutting and commencement of work not involving black topping. Concretization, laying of railway tracks, charging of transmission lines, or as specified in the 'In-principle' approval granted to a linear project in forest land for a period of one year:

Provided that no other proposal of the user agency for which 'In-principle' approval under the Adhiniyam has been granted before a period of two years or more and is still pending for final approval for want of submission of compliance or complete compliance of 'In-principle' approval. An undertaking to this effect shall be submitted by the user agency.

The special provisions allowing the State Governments/Union territory Administrations for tree cutting and commencement of work of linear projects after payment of compensatory levies, can be extended for a further period of one more year, if the Advisory Committee or the Regional Empowered Committee, as the case may be, is satisfied that user agency had made serious efforts to comply with the compliance in 'In-Principle' approval and the user agency has submitted an undertaking to obtain 'Final' approval within the period of 2 years from the date of issue of 'In-principle' approval.

Such orders shall be passed only after full realization of funds for compensatory afforestation, Net Present Value (NPV), wildlife conservation plan, plantation of dwarf species of medicinal plants, and all such other compensatory levies, specified in the Stage 1 (In-principle) approval from the UA, and where ever applicable, transfer and mutation of non-forest/ revenue forest land in favour of State Forest Department.

Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 notification dated, 29th November, 2023 के पैरा-2.1 (V) में यह उल्लेख किया गया है:-

(V) "working permission" means permission granted to linear projects before final approval to mobilise the resources to commence the preliminary project work other than black topping, concretisation, laying of railway tracks, charging of transmission lines, etc. or as specified in the in-principle approval.

अतः पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र दिनांक- 29.12.2023 द्वारा जारी Consolidated Guidelines and Clarifications Issued Under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and Van (Sanrakshan Evam amvardhan) Rules, 2023, के गाइडलाइन्स में उल्लिखित प्राविधानों एवं शर्तों के अधीन आपको कैमूर वन्य जीव प्रभाग के अन्तर्गत पड़ने वाले भदई अरार से मकरीवारी मार्ग के चैनेज सं०-40.150 से 46.050 तक सड़क निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु एक वर्ष के लिए Working Permission (permission for commencement of work not involving black topping, concretization) निर्गत की जाती है।

भवदीय

(अरविन्द कुमार यादव)

प्रभागीय वनाधिकारी

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।

संख्या- 3032 / 33-1 समदिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र, उ०प्र० कानपुर।
- 4- मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी(उ०प्र० कैम्पा), लखनऊ।
- 5- जिलाधिकारी, सोनभद्र।
- 6- प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग सोनभद्र।
- 7- प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र।
- 8- वन्य जीव प्रतिपालक, कैमूर वन्य जीव विहार चुर्क-सोनभद्र।
- 9- क्षेत्रीय वन अधिकारी, गुर्मा रेंज, सोनभद्र

(अरविन्द कुमार यादव)

प्रभागीय वनाधिकारी

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सोनभद्र द्वारा भदई अरार से मकरीवारी मार्ग के चैनेज 0.000 से 46.050 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत "समस्त शर्तों का उल्लंघन नहीं किये जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।


क्षेत्रीय वनाधिकारी
गुर्मा रेंज

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर


वन्य जीव प्रतिपालक
कैमूर वन्य जीव विहार
धर्म - सोनभद्र


Executive Engineer
P.M.G.S.Y Division P.W.D.
Sonebhadra


प्रभारी वन्दोवस्त
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मीरजापुर।

प्रातिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, सोनमद्र द्वारा भदई अरार से मकरीवारी मार्ग के चैनेज 0.000 से 46.050 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन और वन्य जीव संरक्षण और विकास के लिए समयानुसार जारी दिशा निर्देश का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन हेतु" पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।


क्षेत्रीय वनाधिकारी
गुर्मा रेंज
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर


वन्य जीव प्रतिपालक
कैमूर वन्य जीव विभाग
खण्ड - सोनमद्र


Executive Engineer
P.M.G.S.Y Division P.W.D.
Sonebhadra


प्रभारी वन्दोयस्त
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मीरजापुर।

प्रातहस्ताक्षरित

प्रभागिय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर